रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2011/पौष 15, 1932 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 237
No. 3] DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2011/PAUSA 15, 1932 [N.C.T.D. No. 237

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 5 जनवरी, 2011

सं. फा. 3(44)/वित्त/(राजस्व-1)/2010-11/एएसएफ/1.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का मत है कि सार्वजनिक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है।

अब, इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के साथ संलग्न छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) के साथ संलग्न छठी अनुसूची में क्रम संख्या 5, पर प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित करते हैं, अर्थात:—

"5. 16 अगस्त, 2010 से 30 अक्तूबर, 2010 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार खरीद के संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ, दिल्ली :—

क्र.सं.	मद विवरण	राशि (सहित) रुपए
1.	प्लाईवुड	8,85,000
2.	ई पी एस सीटें (थर्मोकोल)	2,28,000
3.	जी आई पाइप	1,70,000
4.	स्टील सरिया	3,50,000
5.	जे हुक	1,50,000
6.	कम्यूनिटी टेन्ट (2 सं.)	69,300

बशर्ते कि ये मदें बेची नहीं जाएं तथा लेह में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्य में उपयोग लाई जाएँ तथा आगे शर्त है कि निम्नलिखित फॉरमेट में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाये :—

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित इनवाइस/बिल/कैश मीमो (डीलर वार विवरण) के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं जिसे 16 अगस्त, 2010 से 30 अक्तूबर, 2010 की अवधि के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा खरीदा गया है, को बेचा नहीं गया तथा लेह में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्य में प्रयोग की गई है:—

खरीदी गई वस्तुओं का विवरण

क्रम सं	आपूर्तिकर्ता डीलर का नाम	आपूर्तिकर्ता डीलर का टिन	इनवाइस/बिल/कैश मीमों संख्या/दिनांक	खरीदी गई वस्तुओं का विवरण	राशि (रुपए)	अदा किया गया वैट	कुल बिल राशि (रुपए)

कुल राशि (रुपए)....................

कुल वैट (रुपए)....................

(तहसीलदार/एस डी एम/समकक्ष रैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित)

दिनांक..........'

यह अधिसूचना दिनांक 16-8-2010 से प्रभावी समझी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
वी.के. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th January, 2011

No. F. 3(44)/Fin (Rev-I)/2010-11/asf/1.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of the general public so to do.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following amendment in the Sixth Schedule appended to the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the Sixth Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), for the entry at Sl. No. 5, the following entry shall be substituted, namely:—

"5. Confederation of Indian Industry, Delhi in respect of purchases as per following details, for a period from 16th August, 2010 to 30th October, 2010 :—

S. No.	Item Description.	Amount (VAT inclusive) Rs.
1.	Plywood	8,85,000
2.	EPS Sheets (Thermocol)	2,28,000
3.	GI Pipes	1,70,000
4.	Steel Sariyas	3,50,000
5.	J Hooks	1,50,000
6.	Community Tents (2 no.)	69,300

Subject to the condition that these items are not sold and are used in the relief work for the victims of flash floods in Leh and further subject to furnishing of certificate in the following format :—

CERTIFICATE

Certified that the goods covered by invoice(s)/bill(s)/cash memo(s) (dealer-wise details) mentioned below which were purchased by the Confederation of Indian Industry Delhi, during the period from 16th August, 2010 to 30th October, 2010 have not been sold and have been used in the relief work for the victims of flash floods in Leh.

DESCRIPTION OF GOODS PURCHASED

Sl. No.	Name of the Supplying dealer	TIN of the Supplying dealer	Invoice(s)/ Bills(s)/Cash memo(s) No./ Date	Description of goods purchased	Amount (Rs.)	VAT paid (Rs.)	Total Bill amount (Rs.)

Total amount (Rs.)......................

Total VAT (Rs.)......................

....

(Signature of the Tehsildar/S.D.M./ an officer of the equivalent rank, with stamp)

Date......................"

This notification shall be deemed to have come into force with effect from 16-8-2010.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

V.K. GUPTA, Addl. Secy. (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जनवरी, 2011

सं फा. 12(09)/वित्त/(राजस्व-1)/2010-11/ डीएस -II/09.—दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का दिल्ली अधिनियम 6) द्वारा यथासंशोधित दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना जनहित में समीचीन है, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 6 जनवरी, 2011 को चैक इन तथा 10 जनवरी, 2011 को चैक आउट (पांच दिन) सहित 6 जनवरी से 10 जनवरी, 2011 के दौरान होटलों में उपलब्ध कराई गई विलासिता पर विलासिता कर के भुगतान से छूट प्रदान करते हैं.—

प्रवासी भारतीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 7-9 जनवरी, 2011 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, 2011 के प्रतिनिधियों/अतिथियों/भागीदारों।

छूट निम्न शर्तों के अनुसार दी गई है :—

1. प्रवासी भारतीय मंत्रालय, भारत सरकार, विलासिता कर विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रवासी भारतीय दिवस-2011 के लिए होटल अनुसार, कमरे अनुसार, रहने की अवधि, कमरे का प्रकार तथा प्रवासी भारतीय दिवस-2011 के पूण होने के

पश्चात् होटल द्वारा लिये गये प्रभार के अनुसार प्रतिनिधियों /अतिथियों/भागीदारों की सूची उपलब्ध करायेगा ।

2. प्रवासी भारतीय मंत्रालय, भारत सरकार, प्रवासी भारतीय दिवस-2011 के लिए होटल अनुसार, कमरा अनुसार, रहने की अवधि, कमरे का प्रकार तथा इस अधिसूचना द्वारा छूट के लिए प्रभार पात्रता के अनुसार प्रतिनिधियों/अतिथियों/भागीदारों की सूची सहित संबंधित होटलों के लिये प्रमाण पत्र जारी करेगा।

3. संबंधित होटल क्रम से प्रवासी भारतीय मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी उपरोक्त सूची सहित प्रमाण पत्र तथा होटलों द्वारा वसूले गये बिलों की प्रतियां जनवरी, 2011 माह के लिये प्रपत्र-8 में उनके विलासिता कर विवरणी सहित प्रस्तुत करेंगे। संबंधित होटल इस अधिसूचना के आधार पर विलासिता कर के भुगतान से छूट का दावा करते समय प्रवासी भारतीय दिवस, 2011 में सम्मिलित होने वाले अतिथियों/प्रतिनिधियों/भागीदारों को उपलब्ध कराये गये आवास पर दिल्ली विलासिता कर नियमावली, 1996 के अधीन यथानिर्धारित प्रपत्र-8 के कालम 1 (ख) में सकल बिक्री भी प्रस्तुत करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अरविन्द जैन, उप सचिव-II (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 5th January, 2011

F. No. 12(9)/Fin. (Rev-I)/2010-11/DSII/09.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Dalhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996) as amended by the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Act, 2000 (Delhi Act 6 of 2000), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby, exempts the following persons or class of persons from payment of Luxury Tax on the Luxury to be provided in the Hotels during 6th January to 10th January, 2011, with check in on the 6th January, 2011 and check out on the 10th January, 2011 (five days) in the National Capital Territory of Delhi:

Delegates/Guests/Participants of Pravasi Bhartiya Divas-2011, to be organized in New Delhi during 7th-9th January, 2011 by the Ministry of Overseas Indian Affairs, Government of India.

The exemption is granted subject to the following conditions:

1. The Ministry of Overseas Indian Affairs, Government of India shall provide to the Department of Luxury Tax, Government of NCT of Delhi the list of delegates/guests/participants for the Pravasi Bhartiya Divas-2011 hotelwise and roomwise, duration of stay, type of room and tariff charged by the hotel after the completion of . Pravasi Bhartiya Divas-2011.

2. The Ministry of Overseas Indian Affairs, Government of India shall issue certificates to respective hotels along with the list of delegates/guests/participants for the Pravasi Bhartiya Divas-2011 hotelwise and roomwise, duration of stay, type of room and tariff entitled for exemption by this notification.

The Respective hotels in turn shall enclose the certificates along with the aforesaid list issued by the Ministry of Overseas Indian Affairs, Government of India and the copies of the bills raised by the hotels with their luxury tax returns in Form-8 for the month of January, 2011. The respective hotels shall also furnish the turnover on accommodation provided to the guests/delegates/ participants attending the Pravasi Bhartiya Divas-2011 in column 1(B) of Form-8 as prescribed under Delhi Tax on Luxuries Rules, 1996 for the month of January, 2011 while claiming exemption from payment of luxury tax on the basis of this notification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ARVIND JAIN, Dy. Secy-II (Finance)

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जनवरी, 2011

सं. फा. 11(45)/2002/ऊर्जा/20.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 12-4-2010 की अधिसूचना संख्या फा.11(45)/2002/ऊर्जा/986 का आंशिक आशोधन करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा दिल्ली विद्युत बोर्ड निधियां, 2020 के न्यासी बोर्ड को निम्न प्रकार गठित करती है :

1.	प्रधान सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—अध्यक्ष
2.	निदेशक (मानव संसाधन) डीटीएल/ डीपीसीएल/आईपीजीसीएल/पीपीसीएल	—सदस्य
3.	विशेष सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—सदस्य
4.	विशेष सचिव (सेवा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—सदस्य
5.	विशेष सचिव (सा.प्र.विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—सदस्य
6.	विशेष आयुक्त(श्रम), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—सदस्य
7.	अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—सदस्य
8.	श्री कुलदीप कुमार, प्रतिनिधि दिल्ली राज्य विद्युत कामगार संघ	—कर्मचारियों का प्रतिनिधि
9.	श्री डी.के.पुरी, प्रतिनिधि डीवीबी इंजीनियर्स एसोसिएशन	—कर्मचारियों का प्रतिनिधि
10.	श्री सुनील द्विवेदी, प्रतिनिधि डीवीबी पावर आफिसर्स एसोसिएशन	—कर्मचारियों का प्रतिनिधि
11.	श्री एस.पी.सिंह, प्रतिनिधि, डीवीबी जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन	—कर्मचारियों का प्रतिनिधि
12.	श्री हरि राम भारद्वाज, प्रतिनिधि, डीवीबी पेंशनर एसोसिएशन	—पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशन भोगियों की एसोसिएशन का प्रतिनिधि

इस बोर्ड का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डा. हरीश के. आहुजा, संयुक्त सचिव (ऊर्जा)

DEPARTMENT OF POWER

NOTIFICATION

Delhi, the 5th January, 2011

F. No.11(45) 2002/Power/20.—In partial modification of Government of NCT of Delhi notification No. F.11(45)/2002/Power/986 dated 12-4-2010, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby reconstitutes the Board of Trurstees of Delhi Vidyut Board Funds, 2002 as under :—

1. Pr. Secretary (Power), GNCTD —Chairperson
2. Director (HR), DTL/DPCL/ IPGCL/PPCL —Member
3. Spl. Secretary (Finance), GNCTD —Member
4. Spl. Secretary (Services), GNCTD —Member
5. Spl. Secretary (GAD), GNCTD —Member
6. Spl. Commissioner (Labour), GNCTD —Member
7. Addl. Secretary (Law), GNCTD —Member
8. Sh. Kuldeep Kumar, Representative, Delhi State Electricity Workers Union —Representative of Emloyees
9. Sh. D.K. Puri, Representative, DVB Engineers Association —Representative of Employees
10. Sh. Sunil Dwivedi, Representative, DVB Power Officers Association. —Representative of Employees
11. S. P. Singh, Representative, DVB Jr. Engineers Association. —Representative, of Employees
12. Sh.Hari Ram Bhardwaj, President, DVB Pensioners Association —Representative of Pensioners and Family Pensioners Association

This Board's term would be for three years from the date of issue of this notification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. HARISH K. AHUJA, Jt. Secy. (Power)

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जनवरी, 2011

सं. फा. 30(70)/एम टी सी/डीडी (एसएस)/डीएस डब्ल्यू/2009-10/20379-402.—माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56) की धारा 22(1) तथा (2) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली, 2009 में निम्नानुसार आगे संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को दिल्ली माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जा सकेगा,

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 21, 22, 23 तथा 24 का सन्निवेशन.—दिल्ली माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली, 2009 के नियम 20 के पश्चात् निम्नलिखित नियमों को सन्निविष्ट किया जाएगा अर्थात्:—

अध्याय-III

21. उपायुक्त के कर्तव्य एवं शक्तियां.—(1) उपायुक्त अपने जिले में अधिनियम के प्रावधानों के उचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उप-नियम 2 तथा 3 में उल्लिखित कर्तव्यों का निवर्हन तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) उपायुक्त का कर्तव्य होगा कि—

(i) यह सुनिश्चित करें कि जिले के वरिष्ठ नागरिकों का जीवन एवं संपत्ति सुरक्षित रहे और वे अपना जीवनयापन सुरक्षा एवं गरिमा के साथ कर सकें;

(ii) जिले के भरण-पोषण न्यायाधिकरणों तथा भरण-पोषण अधिकारियों के कार्य का निरीक्षण तथा निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि रखरखाव के लिए आवेदनों का निपटान तथा न्यायाधिकरण के आदेशों का पालन समय पर तथा निष्पक्ष हो;

(iii) जिले में वृद्धजन गृहों की कार्य-प्रणाली का निरीक्षण तथा निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि वे इन नियमों में उल्लिखित मानकों तथा राज्य सरकार के अन्य मार्ग-निर्देशों तथा आदेशों का सही अनुपालन कर रहे हैं;

(iv) अधिनियम के प्रावधानों तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के कार्यक्रमों का नियमित तथा व्यापक प्रचार सुनिश्चित करना;

(v) नगरपालिकाओं, शिक्षा संस्थानों और जिलों में कार्यरत विशेषत: उनकी राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाइयों, संगठनों, विशेषज्ञों, एक्सपर्ट, सक्रियतावादियों इत्यादि को प्रोत्साहित करना तथा समन्वय रखना ताकि जिले के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उनके संसाधन एवं प्रयास प्रभावी हों;

(vi) राष्ट्रीय आपदाओं तथा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के समय वरिष्ठ नागरिकों को समय पर सहायता और राहत पहुंचाने को सुनिश्चित करना;

(vii) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित विभिन्न विभागों तथा स्थानीय निकायों के अधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति समय-समय पर जागरूक करना और उनके प्रति अधिकारियों के कर्तव्यों का बोध कराना;

(viii) यह सुनिश्चित करना कि भरण पोषण के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्रों समुचित संख्या में नागरिकों के आम सम्पर्क वाले कार्यालियों जैसे डाकघर, उपमण्डलीय कार्यालयों, जिला कार्यालयों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, पुलिस थानों आदि में उपलब्ध हों।

(ix) ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो सरकार आदेश द्वारा इस आधार पर समय-समय पर उपायुक्त को सौंपे ।

(3) उप-नियम (2) में उल्लिखित कर्तव्यों के निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे निर्देश संबंधित सरकार या जिले में कार्यरत सांविधिक अभिकरण या कार्यरत निकाय को जारी करने के लिए सक्षम होंगे और विशेषत: निम्नलिखित को, जो अधिनियम, इन नियमों, तथा सरकार के दिशा-निर्देशों के असंगत न हो, जैसा भी आवश्यक हो :—

(i) सरकार में पुलिस, स्वास्थ्य तथा प्रचार विभाग तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित विभाग के अधिकारियों को;

(ii) भरण-पोषण न्यायाधिकरणों तथा समझौता अधिकारी;

(iii) दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्;

(iv) शैक्षणिक संस्थान ।

अध्याय-IV

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा

22. वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा की कार्य योजना.—(1) पुलिस आयुक्त वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाएंगे ।

(2) उप-नियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना:—

(i) प्रत्येक थाना अपने क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की एक अद्यतन सूची, विशेषकर जो स्वयं अकेले रह रहे हैं (अर्थात् अपने घरों में किसी उस सदस्य के बिना, जो वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं), बनायेगा ।

(ii) जहां तक संभव हो, थाने का एक प्रतिनिधि, किसी सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयं सेवक सहित नियमित अन्तराल पर ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से मिलेगा । इसके अतिरिक्त उनसे सहायता का अनुरोध प्राप्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र मिलेंगे ।

(iii) वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों/समस्याओं को स्थानीय पुलिस द्वारा शीघ्रतापूर्वक सुना जाएगा ।

(iv) एक या अधिक स्वयंसेवी समितियां प्रत्येक थाने के लिये बनाई जाएंगी जो वरिष्ठ नागरिकों के बीच नियमित सम्पर्क सुनिश्चित करेंगी, विशेषकर एक ओर तो उनके लिए जो अकेले रह रहे हैं और दूसरी ओर पुलिस तथा प्रशासन के लिए ।

(v) पुलिस आयुक्त वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों को नियमित अन्तराल पर मीडिया में तथा थानों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रकाशित करवाएंगे ।

(vi) प्रत्येक थाना, वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध किए गए अपराधों के समबन्ध में सभी महत्वपूर्ण विवरण एक अलग रजिस्टर में, सरकारी आदेश द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बनाएगा ।

(vii) खण्ड (vi) में संदर्भित रजिस्टर जनता के निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगा तथा किसी थाने को निरीक्षण करने वाला प्रत्येक अधिकारी रजिस्टर में यथा उल्लिखित स्थिति की निरपवाद रूप से समीक्षा करेगा ।

(viii) थाना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पुलिस आयुक्त को ऐसे अपराध की सूचना भेजेगा ।

(ix) वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के हित में उनके द्वारा किए जाने वाले तथा न किए जाने वाले कार्यों की सूची व्यापक रूप से प्रकाशित की जाएगी ।

(x) वरिष्ठ नागरिकों के अनुरोध पर उनके घरेलू नौकरों तथा उनके लिए कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के पूर्ववत्त की शीघ्रता से जांच की जाएगी ।

(xi) वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए समुदाय पुलिस, पड़ोसी रेजिडेण्ट वेलफेयर एसोसिएशनों में रह रहे व्यक्तियों, युवा स्वयं सेवकों, गैर-सरकारी संगठनों आदि के सहयोजन से बनाई जाएगी ।

(xii) पुलिस उपायुक्त पूर्ववर्ती माह के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध हुए अपराधों के सम्बन्ध में प्रत्येक माह की 20 तारीख तक मासिक रिपोर्ट पुलिस आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे जिसमें माह के दौरान छानबीन की प्रगति तथा पंजीकृत अपराधों का अभियोजन और उठाए गए निवारक कदमों का उल्लेख होगा । पुलिस आयुक्त तिमाही में एक बार रिपोर्टों का संकलन करवाएगा और प्रति तिमाही तथा प्रत्येक वर्ष के लिये उन्हें सरकार को प्रस्तुत करवाएगा इसके साथ-साथ नियम 23 के अन्तर्गत गठित राज्य वरिष्ठ नागरिक परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा ।

अध्याय-V

वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद् तथा जिला समितियां

23. वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद्.—(1) राज्य सरकार आदेश से अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन सम्बन्धी सरकार को सलाह देने के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कार्य करने के लिए राज्य वरिष्ठ नागरिक परिषद् स्थापित कर सकती है, जैसा सरकार उल्लेख करे ।

(2) राज्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :—

(i)	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु सरकार का मंत्री	—अध्यक्ष पदेन
(ii)	सरकार के विभागों के सचिव जो अपगंताओं/अशक्तता वरिष्ठ नागरिक के कल्याण स्वास्थ्य, योजना, गृह प्रचार, पेंशन और वरिष्ठ नागरिकों के सम्बन्धित अन्य विषय	—सदस्य पदेन
(iii)	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों तथा कार्यकर्ताओं की उतनी संख्या जो	—सदस्य

22 DG/11—2

सरकार द्वारा नियत की गई हो, सरकार द्वारा नामांकित किया जाए

(iv) प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों की उतनी संख्या, जो सरकार द्वारा नियत की हो लेकिन सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले परिषद् के पदेन सदस्यों से कम न हो। —सदस्य

(v) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रभारी निदेशक। —सदस्य सचिव पदेन

(3) राज्य परिषद् की बैठक छ: माह में कम से कम एक बार होगी।

(4) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त राज्य परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा जो परिषद् के कार्यकाल की अवधि के साथ समाप्त होगी।

24. जिला समितियां :—(1) सरकार आदेश से जिला स्तर पर अधिनियम के प्रभावी एवं समन्वित क्रियान्वयन संबंधी सलाह देने के लिए और जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में ऐसे अन्य कार्य करने के लिए, जैसा सरकार उल्लेख करे प्रत्येक जिले के लिये जिला वरिष्ठ नागरिक परिषद् स्थापित कर सकती है।

(2) जिला समिति की बैठक प्रति तिमाही एक बार होगी।

(3) जिला समिति का गठन, सदस्यों का कार्यकाल (पदेन सदस्यों के अलावा), कार्य पद्धति नियम तथा अन्य सहायक विषय ऐसे होंगे, जैसा राज्य सरकार आदेश से उल्लेख करे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज परिदा, सचिव (समाज कल्याण)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 5th January, 2011

F. No. 30(70)/MTC/DD(SS)/DSW/2009-10/20379-402.—In exercise of the powers conferred by Section 32 read with Section 22(1) and (2) of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (56 of 2007), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to further amend the Delhi Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2009 as following, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Insertion of rules 21, 22, 23 and 24. In the Delhi Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2009, after rule 20, the following rules shall be inserted namely :—

"CHAPTER-III

21. Duties and powers of the Deputy Commissioner.— (1) The Deputy Commissioner shall perform the duties and exercise of the powers mentioned in sub-rules (2) and (3) so as to ensure that the provisions of the Act are properly carried out in his district.

(2) It shall be duty of the Deputy Commissioner to—

(I) ensure that life and property of senior citizens of the district are protected and they are able to live with security and dignity;

(II) oversee and monitor the work of Maintenance Tribunals and Maintenance Officers of the district with a view to ensuring timely and fair disposal of applications for maintenance and execution of Tribunals' orders;

(III) oversee and monitor the working of old age homes in the district so as to ensure that they conform to the standards laid down in these rules, and any other guidelines and orders of the State Government;

(IV) ensure regular and wide publicity of the provisions of the Act, and Central and State Government's programmes for the welfare of senior citizens;

(V) encourage and co-ordinate with municipalities, educational institutions and especially their National Service Scheme Units, organisations, specialists, experts, activists, etc. working in the district so that their resources and efforts are effectively pooled for the welfare of senior citizens of the district;

(VI) ensure provision of timely assistance and relief to senior citizens in the event of natural calamities and other emergencies;

(VII) ensure periodic sensitization of officers of various Departments and Local Bodies concerned with welfare of senior citizens, towards the needs of such citizens, and the duties of the officers towards the latter;

(VIII) ensure that adequate number of prescribed application forms for maintenance are available in offices of common contact for citizens like Post Offices, SDMs offices, District Offices, PDS Outlets, Police Stations, etc.;

(IX) perform such other functions as the Government may, by order, assign to the Deputy Commissioners in this behalf, from time to time.

(3) With a view to performing the duties mentioned in sub-rule (2), the Deputy Commissioners shall be competent to issue such directions, not inconsistent with the Act, these rules, and general guidelines of the Government, as may be necessary, to any concerned government or statutory agency or body working in the district, and especially to the following :—

(I) Officers of the Government in the police, Health and publicity Department, and the Department dealing with welfare of senior citizens;

(II) Maintenance Tribunals and Conciliation Officers;

(III) Municipal Corporation of Delhi and NDMC;

(IV) Educational institutions.

CHAPTER-IV

PROTECTION OF LIFE AND PROPERTY OF SENIOR CITIZENS

22. Action plan for the protection of life and property of senior citizens.—(1) The Commissioner, Police shall take all necessary steps, subjects, to such guidelines as the Government may issue from time to time, for the protection of life and property of senior citizens.

(2) Without prejudice to the generality of sub-rule (1).—(I). each police station shall maintain an up-to-date list of senior citizens living within its jurisdiction, especially those who are living by themselves (i.e. without there being any member in their household who is not a senior citizen).

(II) a representative of the police station together, as far as possible, with a social worker or valunteer, shall visit such senior citizens at regular intervals and shall, in addition, visit them as quickly as possible on receipt of a request of assistance from them.

(III) complaints/problems of senior citizens shall be promptly attended to, by the local police.

(IV) one or more Volunteers' Committee(s) shall be formed for each police station which shall ensure regular contact between the senior citizens, especially those living by themselves on the one hand, and the police and district administration on the other.

(V) the Commissioner, Police shall cause to be published widely in the media and through the police stations, at regular intervals, the steps being taken for the protection of life and property of senior citizens.

(VI) each police station shall maintain a separate register containing all important particulars relating to offences committed against senior citizens, in such form as the Government may, by order, specify.

(VII) the register referred to in clause (VI) shall be kept available for public inspection, and every officer inspecting a police station shall invariably review the status as reflected in the register.

(VIII) the Police Station shall send a monthly report of such crimes to the Commissioner, Police by the 10th of every month.

(IX) list of Do's and Don'ts to be followed by senior citizensin the interest of their safety will be widely publicized.

(X) antecedents of domestic servants and other working for senior citizens shall be promptly verified, on the request of such citizens.

(XI) community policing for the security of senior citizens will be undertaken in conjunction with citizens living in the neighbourhood Residents' Welfare Association, Youth Volunteers, Non-Government Organisations, etc.

(XII) the Deputy Commissioner of Police shall submit to the Commissioners of Police, a monthly report by the 20th of every month, about the status of crime against senior citizens during the previous month, including progress of investigation and prosecution of registered offences, and preventive steps taken during the month. The Commissioner of Police shall cause the reports to be compiled, once a quarter, and shall submit them to the Government every quater as well as every year for, *inter alia* being placed before the State Council of Senior Citizens constituted under rule 23.

CHAPTER-V

STATE COUNCIL AND DISTRICT COMMITTEES OF SENIOR CITIZENS

23. State Council of Senior Citizens.—(1) The State Government may, by order, establish a State Council of Senior Citizens to advise the State Government on effective implementation of the Act and to perform such other functions in relation to senior citizens as the Government may specify.

(2) The Satte Council shall consist of the following members, namely :—

(i)	Minister of the Government in charge of welfare of senior citizens	—Chairman, ex-officio
(ii)	Secretaries of Department of the Government dealing with Disa-bilities, Senior Citizens Welfare, Health, Plannng Home, Publicity, Pensions and other subject of concern to the senior citizens	—Member ex-officio
(iii)	such number of specialists and activists in the field of welfare of senior citizens, as the Government may determine, to be nominated by the Government	—Members
(iv)	such number of eminent senior citizens, as the Government may determine, but not less in number than the ex-officio members in the Council, to be nominated by the Government	—Members
(v)	Director in-charge of Senior Citizens Welfare in the NCT of Delhi.	—Member-Secretary ex-officio

(3) The State Council shall meet at least once in six months.

(4) Tenure of the members of the State Council, other than ex-officio members, will be three years which will be co-terminus with the term of the Council.

24. District Committee.—(1) The Government may, by order, establish a District Committee of Senior Citizens for each District to advise in effective and co-ordinated implementation of the Act at district level, and to perform such other functions in relation to senior citizens at the district level, as the Government may, specify.

(2) The District Committee shall meet once in every quarter.

(3) Composition of the District Committee, tenure of members (other than ex -officio Members), rules of procedure and other ancillary matters shall be such as the State Government may, by order, specify.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ PARIDA, Secy. (Social Welfare)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.